भारतीय होटल निगम लिमिटेड

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
1.	निदेशक-मंडल	1
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	2
3.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	11
4.	सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट	12
5.	31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र	19
6.	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा	20
7.	नकदी प्रवाह विवरण	21
8.	तुलन-पत्र व लाभ एवं हानि लेखे के भाग निर्मित करने वाली अनुसूचियां	22
9.	वार्षिक लेखे के अनुलग्नक	41
10.	दस वर्षीय सांख्यिकी	45

निदेशक-मंडल (03.12.2009 को)

श्री अरविन्द जाधव	अध्यक्ष
कमोडोर डी. जेना	प्रबंध निदेशक
श्री ई.के. भारत भूषण	
श्री प्रशांत सुकुल	

सचिव

सुश्री श्यामला पी. कुंदर

लेखा-परीक्षक

मैसर्स पी. पारिख एण्ड एसोसिएट्स

सॉलिसिटर्स

मैसर्स एम.वी. किणी एण्ड कंपनी

बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

एक्सिस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

पहली मंज़िल, ट्रांसपोर्ट एनैक्सी बिल्डिंग,
एअर इंडिया कॉम्प्लैक्स, ओल्ड एअरपोर्ट,
सांताकुज़ (पूर्व), मुंबई - 400 029.

निदेशकों की रिपोर्ट

तारीख 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी अड़तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा-परीक्षित लेखे प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता है।

वित्तीय परिणाम :

वर्ष 2008-09 के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है :

(लाख रुपए में)

विवरण	2008-09	2007-08
कुल राजस्व	4905.23	6128.07
कुल प्रचालनात्मक व्यय	6494.58	7544.16
सकल प्रचालनात्मक लाभ / (हानि)	(1589.35)	(1416.09)
ब्याज	0.00	0.00
नकद लाभ / (हानि)	(1589.35)	(1416.09)
मूल्यह्रास	220.49	162.37
असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ / (हानि)	(1809.84)	(1578.46)
वीआरएस / असाधारण मदें	27.67	906.26
पूर्वावधि समायोजन	11.58	(1.24)
असाधारण मदों के बाद किंतु कर पूर्व निवल लाभ / (हानि)	(1849.09)	(2483.48)
फ्रिंज बेनिफिट कर	12.31	13.18
कर पश्चात् निवल लाभ / (हानि)	(1861.40)	(2496.66)

<u>सिंहावलोकन</u> :

वर्ष के दौरान, 1070 लाख रुपए की कुल लागत पर नवीकरण किए जाने वाले 127 अतिथि कमरों में से, सेंटॉर होटल, दिल्ली एअरपोर्ट के शेष 95 अतिथि कमरों एवं अन्य संबंधित कार्यों का नवीकरण कार्य पूरा किया गया। संविदाकार के अंतिम पूर्व बिल के आधार पर 31 मार्च, 2009 को 693 लाख रुपए (पिछले वर्ष 215 लाख रुपए) का अनंतिम पूंजीकरण किया गया था और तदनुसार लाभ और हानि लेखे में मूल्यह्रास प्रभारित किया गया था। अंतिम बिल मिलने के बाद कार्य के अंतिम प्रमाणन पर आधारित वास्तविक आधार पर पूंजीकरण किया जाएगा।

- 163/- रुपए प्रति वर्ग मीटर वार्षिक दर से पट्टा किराया और शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, मुंबई, सेंटॉर होटल, दिल्ली एअरपोर्ट (शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, दिल्ली सहित) को देय आवर्त लेवी के लिए क्रमशः मुंबई इंटरनेशनल एअरपोर्ट

लिमिटेड (एमआईएएल) और दिल्ली इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) को वर्ष 2008-09 के लिए 182.89 लाख रुपए की बकाया देयता के लिए प्रावधान किया गया था ।

- कुल राजस्व, 6128.07 लाख रुपए की तुलना में घटकर 4905.23 लाख रुपए हो गया है, जो वर्ष 2007-08 से 1222.84 लाख रुपए (20%) कम है । यह मुख्यतः सेंटॉर दिल्ली में पिछले वर्ष के 73% से वर्ष 2008-09 में 46% ऑक्यूपेन्सी लेवल के घटने के कारण और विलय के बाद 2007-08 में प्रति सप्ताह 99 उड़ानों से 2008-09 में प्रति सप्ताह 71 उड़ानों तक घटने से शैफेयर मुंबई के केटरिंग राजस्व में कमी (28%) और मौजूदा उड़ानों के कम लोड फैक्टर के कारण हुआ है । कुल व्यय घटकर 6494.58 लाख रुपए हो गया अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में 1049.58 लाख रुपए (14%) की कमी ।

- उपर्युक्त को देखते हुए, पिछले वर्ष की 1416.09 लाख रुपए हानि की तुलना में इस वर्ष सकल प्रचालन हानि 1589.35 लाख रुपए है । पिछले वर्ष की 2496.66 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष कर पश्चात् निवल हानि 1861.40 रुपए है ।

कंपनी का इकाईवार निष्पादन निम्नानुसार है :

सेंटॉर होटल दिल्ली एअरपोर्ट :

इस इकाई ने पिछले वर्ष 2582 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष 2067.26 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 20% की कमी हुई । यह मुख्यतः बिक्री के लिए उपलब्ध कमरों की कमी के फलस्वरूप है, क्योंकि 95 कमरों का नवीकरण कार्य चल रहा था और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) से व्यावसायिक हानि भी लगभग 3.50 लाख रुपए हुई । साथ ही, होटल के सामने डीआईएएल का निमार्ण कार्य जारी रहने के कारण व्यवसाय में हानि हुई है । पिछले वर्ष के 2662.40 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष का कुल व्यय 2340.33 लाख रुपए था ।

इसके परिणामस्वरूप, इकाई को पिछले वर्ष के 80.40 लाख रुपए की प्रचालन हानि की तुलना में इस वर्ष 273.07 लाख रुपए की प्रचालन हानि हुई । ब्याज और मूल्यह्रास एवं असाधारण मदों के लिए प्रावधान करने के बाद, इकाई को पिछले वर्ष के 178.31 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष 413.15 लाख रुपए की निवल हानि हुई ।

सेंटॉर लेक व्यू होटल, श्रीनगर :

इस इकाई ने पिछले वर्ष के 632.60 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष 655.12 लाख रुपए राजस्व अर्जित किया, अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 4% वृद्धि हुई । कुल व्यय पिछले वर्ष के 1043.01 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष 826.29 लाख रुपए रहा।

इसके परिणामस्वरूप, इकाई को पिछले वर्ष के 410.41 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष 171.17 लाख रुपए की प्रचालन हानि हुई। ब्याज, मूल्यह्रास और असाधारण मदों के लिए प्रावधान करने के बाद, इकाई को पिछले वर्ष के 1318.47 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष 215.92 लाख रुपए की निवल हानि हुई ।

शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, मुंबई :

इकाई ने पिछले वर्ष के 1596.95 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष 1096.17 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया, अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 31% की कमी हुई । कुल व्यय पिछले वर्ष के 2181.52 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष 1819.62 लाख रुपए रहा ।

इसके परिणामस्वरूप, इकाई को पिछले वर्ष के 584.57 लाख रुपए की प्रचालन हानि की तुलना में इस वर्ष 723.45 लाख रुपए की प्रचालन हानि हुई । ब्याज, मूल्यह्रास एवं असाधारण मदों के लिए प्रावधान करने के बाद, इकाई को पिछले वर्ष के 614.67 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष 758.61 लाख रुपए की निवल हानि हुई ।

शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, दिल्ली :

इस इकाई ने पिछले वर्ष के 345.86 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष 292.88 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया, अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 15% की कमी हुई । कुल व्यय पिछले वर्ष के 1146.18 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष 1006.88 लाख रुपए हुआ ।

इसके परिणामस्वरूप, इकाई को पिछले वर्ष के 800.32 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष 714.00 लाख रुपए की प्रचालन हानि हुई। ब्याज, मूल्यह्रास एवं असाधारण मदों के लिए प्रावधान करने के बाद, इस इकाई को पिछले वर्ष के 820.92 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष 742.10 लाख रुपए की निवल हानि हुई ।

वार्षिक योजना परिव्यय 2008-09 :

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए 15 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना परिव्यय का अनुमोदन दिया था । 9 करोड़ रुपए का वास्तविक परिव्यय मुख्यतः सेंटॉर, दिल्ली में अतिथियों के कमरों का नवीकरण और अन्य संबंधित कार्य तथा अन्य सामान्य पूंजीगत वचनबद्धताओं के लिए था ।

भूतपूर्व सैनिकों को रोज़गार :

कंपनी भूतपूर्व सैनिकों के रोज़गार के लिए इस संबंध में सरकार से प्राप्त निदेशों का अनुपालन करती है ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग को रोज़गार :

भारतीय होटल निगम की छः इकाईयों में से तीन इकाईयों के विनिवेश के बाद भर्ती पर प्रतिबंध था, अतः कोई भर्ती नहीं की गई । तथापि, कंपनी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की पदोन्नति में पदों के आरक्षण के लिए सरकारी निदेशों का पालन करती है ।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन :

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर सरकार से प्राप्त निदेशों का पालन किया गया ।

प्रशिक्षण एवं विकास :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने सभी स्तरों पर आधुनिक प्रबंधन, तकनीकी परिकल्पना और होटल उद्योग में अद्यतन उन्नयन हासिल करने के लिए विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों के माध्यम से और विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न तरह के अल्पावधि पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में अपने कर्मचारियों को अवसर उपलब्ध कराए ।

सतर्कता :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारतीय होटल निगम की सभी इकाईयों में आवधिक आकस्मिक जांच एवं निरीक्षण किए गए । प्रशासन विभाग से प्राप्त निर्विष्टियों पर आधारित विभिन्न एजेंसियों को रिपोर्ट भिजवाई गई । वर्ष के दौरान, निविदा / क्रय प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों में समय-समय पर प्रक्रियागत सलाह दी गई । 3 नवम्बर से 7 नवम्बर, 2008 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया ।

विदेशी दौरे :

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत किसी प्रकार का व्यय नहीं किया ।

कार्मिक :

31 मार्च, 2009 को कंपनी के पे रोल पर कुल 1439 कर्मचारी थे, जबकि 31 मार्च, 2008 को कंपनी के मुख्य कार्यालय / विभिन्न इकाईयों में 1486 कर्मचारी थे । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारियों से प्रबंधन का संबंध अच्छा एवं सद्भावपूर्ण रहा ।

वेतन समझौता :

सभी यूनिटों के यूनियन श्रेणी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न यूनियनों के साथ वर्ष 2002 से 2006 तक की अवधि के लिए हस्ताक्षरित वेतन समझौते को पहले ही लागू किया गया है और जनवरी, 2007 से नया वेतन संशोधन लंबित है।

कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी कर्मचारी प्रतिमाह रु.2,00,000/- से अधिक नहीं पाता था ।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय :

पिछले वर्ष के 172.72 लाख रुपए की तुलना में वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन 114.05 लाख रुपए था । वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय नहीं किया गया ।

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी संविलयन :

कंपनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी जाती है । ऊर्जा की खपत को घटाने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं । ऑटोमेशन एवं बेहतर नियंत्रण से ऊर्जा संरक्षण संभव हो सका है ।

कंपनी की अनुसंधान और विकास की गतिविधि न होने के कारण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(ङ) के अनुसरण में संबद्ध नियमों के फार्म बी के अंतर्गत अपेक्षित विवरण नहीं दिया गया है । कंपनी के सेवा उद्योग में होने के कारण प्रौद्योगिकी संविलयन, अनुकूलन या उन्नयन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय होटल निगम लिमिटेड की शेष इकाईयों की स्थिति :

शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, मुंबई :

नागर विमानन मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, मुंबई (सीएफसीएम) और सेंटॉर लेक व्यू होटल, श्रीनगर (सीएलवीएच) को प्रबंधन संविदा के तहत देने का निर्णय हुआ था। प्रबंधन संविदा आधार पर होटल और फ्लाइट किचन चलाने के लिए पक्षकारों के चयन के लिए मैसर्स भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड (टीएफसीआई) को प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। टीएफसीआई ने इच्छुक पक्षकारों से बोलियां आमंत्रित की हैं।

- शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, मुंबई के लिए लघु-सूचीबद्ध किए गए चार पक्षकारों ने टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुतीकरण के बाद साइट का दौरा किया था और अपनी वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करने से पहले उन्होंने सम्यक तत्परता दिखाई थी।

- चार पक्षकारों में रे., बाद में एक उपयुक्त नहीं पाया गया और उसे हटाया गया तथा एक और पक्षकार ने परियोजना में बने रहने के लिए कोई रूचि नहीं दिखाई।

- इसके बाद, प्रबंधन परामर्शदाता ने कंपनी और पक्षकारों के बीच निष्पादित की जाने वाली प्रबंधन संविदा के प्रारूप को अंतिम रूप दिया था, जिसे आवश्यक संशोधनों के साथ बोर्ड ने अनुमोदित किया था।

- बाद में, बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधनों के बारे में पक्षकारों को सूचित किया गया और संविदा के अंतिम निबंधनों के बारे में बातचीत चल रही है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सेंटॉर लेक व्यू होटल, श्रीनगर :

जैसाकि निदेशक-मंडल ने अनुमोदित किया था, मैसर्स टीएफसीआई, प्रबंधन परामर्शदाता ने सेंटॉर लेक व्यू होटल (सीएलवीएच), श्रीनगर के लिए पुनः बोली प्रक्रिया आरंभ की थी और विज्ञापन जारी किया था तथा 3 बोलियां प्राप्त हुई थीं। बोलियों की छानबीन के पश्चात, तीन बोली लगाने वालों में से, केवल दो को पात्र पाया गया, जिन्होंने टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया था। चूंकि, दोनों पक्षकार तकनीकी दृष्टि से पात्र पाए गए, इसलिए उन्हें सम्यक उद्यम के लिए अनुमति दी गई थी। उसके पश्चात्, प्रबंधन परामर्शदाता ने प्रबंधन करार के मसौदे को भिजवाया, जिसका पुनरीक्षण हमारे विधि सलाहकार और सॉलिसिटर्स मैसर्स एम.वी. किणी एण्ड कंपनी द्वारा किया गया था। टास्क फोर्स सदस्यों ने वित्तीय निबंधनों पर चर्चा की और यह महसूस किया गया कि वित्तीय निबंधनों की संवीक्षा करना आवश्यक है और टीएफसीआई को उस आधार के बारे में पूछा जाए, जिस आधार पर उनके द्वारा वित्तीय निबंधनों को निर्धारित किया गया था और इसके बारे में उन्हें सूचित किया गया था।

सेंटॉर होटल दिल्ली एवं शैफेयर दिल्ली :

- बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार, 127 अतिथि कमरों, हेल्थ क्लब और अन्य संबंधित कार्यों (अर्थात् एसी प्लांट, डीजी सेट इंजन, लिफ्ट) को कुल 1070 लाख रुपए की कुल मंजूरी पर पूरा किया गया था। तद्नुसार, संपूर्ण नवीकरण किए गए 127 अतिथि कमरों को वर्ष में उपयोग में लाया गया। दो एसी प्लांट को बदलने का कार्य पूरा हो गया है और वे 11.08.2008 से प्रयोग में लाए जा रहे हैं।

विनिवेश के बाद के मुद्दे :

- विनिवेश की गई दोनों संपत्तियों अर्थात् सेंटॉर होटल मुंबई एअरपोर्ट और सेंटॉर होटल जुहू बीच दोनों में निवल वर्तमान परिसंपत्तियों एवं अन्य दायित्वों के निपटान के मुद्दे अभी तक हल नहीं हुए हैं । सेंटॉर होटल मुंबई एअरपोर्ट के मामले में, चूंकि क्रेता द्वारा विवाद उठाया गया था, अतः इस मामले को विवाचन में भेजा गया और विवाचन की कार्यवाही पूर्ण हो गई है और अंतिम अधिनिर्णय प्रतिक्षित है ।

- सेंटॉर होटल जुहू बीच के मामले में, 3 विभिन्न मुद्दों पर मामला अब एकमात्र विवाचक, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय के समक्ष थे । उनके द्वारा सूचित किए अनुसार, मैसर्स ट्यूलिप हॉस्पीटैलिटी के साथ लंबित मामलों को सुलझाने के लिए कार्यपालक निदेशक-वित्त और कंपनी सचिव, नैसिल को नामित किया गया है और इसकी कार्रवाई जारी है ।

निदेशक :

वर्ष 2008-09 के दौरान निदेशक-मंडल में निम्न सदस्य थे :

श्री रघु मेनन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	अध्यक्ष
कमोडोर डी. जेना	-	प्रबंध निदेशक
श्रीमती विलासिनी रामचन्द्रन अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय	-	निदेशक (9 फरवरी, 2009 तक)
श्री ई.के. भारत भूषण संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय	-	निदेशक (9 फरवरी, 2009 से)
श्री आर.के. सिंह संयुक्त सचिव नागर विमानन मंत्रालय	-	निदेशक (9 मार्च, 2009 तक)
श्री प्रशांत नारायण सुकुल संयुक्त सचिव नागर विमानन मंत्रालय	-	निदेशक (9 मार्च, 2009 से)

नागर विमानन मंत्रालय ने तारीख 1 मई, 2009 के आदेश एफ सं. एवी.18014/01/2009-एआई के अनुसार श्री अरविन्द जाधव को श्री रघु मेनन के स्थान पर नैसिल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। श्री जाधव ने 4 मई, 2009 की पूर्वाह्न से पदभार संभाला। नैसिल के अध्यक्ष भारतीय होटल निगम लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष हैं।

अपने सेवाकाल के दौरान बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में श्री रघु मेनन तथा निदेशक के रूप में श्रीमती विलासिनी रामचन्द्रन और श्री आर.के. सिंह द्वारा दी गई बहुमूल्य सेवा के लिए निदेशक-मंडल उनकी सराहना करता है।

1 अक्तूबर, 2009 को निदेशक-मंडल में निम्न सदस्य थे :

श्री अरविन्द जाधव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	अध्यक्ष
कमोडोर डी. जेना	-	प्रबंध निदेशक
श्री ई.के. भारत भूषण संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय	-	निदेशक
श्री प्रशांत नारायण सुकुल संयुक्त सचिव नागर विमानन मंत्रालय	-	निदेशक

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2कक) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

1. वार्षिक लेखों को तैयार करने में वास्तविक विचलन के संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ प्रयोज्य लेखाकरण मानक अपनाए गए थे।

2. निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार प्रयुक्त किया है तथा ऐसे निर्णय और आंकलन किए हैं, जो औचित्यपूर्ण एवं सही हैं, ताकि वे 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार कंपनी के क्रियाकलापों तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि लेखे की सही एवं उचित स्थिति दर्शा सकें।

3. निदेशकों ने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और योग्यता के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।

4. निदेशकों ने सतत आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

लेखा-परीक्षा समिति :

वर्ष 2008-09 में, लेखा-परीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार थी :

श्रीमती विलासिनी रामचन्द्रन अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय	-	अध्यक्ष (9 मार्च, 2009 तक)
संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय	-	अध्यक्ष (9 मार्च, 2009 से)
श्री रघु मेनन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	सदस्य
श्री आर.के.सिंह संयुक्त सचिव नागर विमानन मंत्रालय	-	सदस्य (9 मार्च, 2009 तक)
संयुक्त सचिव नागर विमानन मंत्रालय	-	सदस्य (9 मार्च, 2009 से)
कमोडोर डी. जेना प्रबंध निदेशक	-	सदस्य

लेखा-परीक्षा समिति की बैठक के लिए कोरम कुल संख्या का एक तिहाई या 2, जो भी अधिक हो, होगा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लेखा-परीक्षा समिति की एक बैठक हुई थी।

1 अक्तूबर, 2009 को लेखा-परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय	-	अध्यक्ष
श्री अरविन्द जाधव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	सदस्य
संयुक्त सचिव नागर विमानन मंत्रालय	-	सदस्य
कमोडोर डी. जेना प्रबंध निदेशक	-	सदस्य

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों की समीक्षा और कंपनी के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अंतर्गत पूरक लेखा-परीक्षा की है और रिपोर्ट किया है कि उनकी जानकारी में कोई अहम सूचना नहीं आई है, जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक सूचना देनी आवश्यक हो ।

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट :

जहां तक सांविधिक लेखा-परीक्षकों की टिप्पणियों का प्रश्न है, लेखों की टिप्पणियों से प्रबंधन की स्थिति स्पष्ट है ।

लेखा-परीक्षक :

मैसर्स पी. पारिख एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, जो कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक हैं, कंपनी की आगामी वार्षिक बैठक में सेवानिवृत्त होंगे । कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के उपबंधों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मैसर्स सिंग्रोडिया गोयल एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए कंपनी का एकमात्र लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया है ।

आभार :

निदेशक, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिए गए समर्थन एवं सहयोग के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं । बोर्ड, नागर विमानन मंत्रालय और नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता है । निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखा-परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों, सांविधिक लेखा-परीक्षकों एवं बैंकों को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं ।

कृते एवं निदेशक-मंडल की ओर से

हस्ता./-
(अरविन्द जाधव)
अध्यक्ष

तारीख : मुंबई
स्थान : 3 दिसम्बर, 2009

भारतीय होटल निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां :

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए **भारतीय होटल निगम लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विहित लेखा-परीक्षण आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा-परीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के प्रति उत्तरदायी है । यह उनकी दिनांक 23 सितंबर, 2009 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया हुआ बताया गया है ।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए **भारतीय होटल निगम लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अंतर्गत अनुपूरक लेखा-परीक्षा की है । मेरे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कोई अहम सूचना नहीं आई है, जिस पर मुझे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर मेरी टिप्पणी अथवा अनुपूरक सूचना देनी आवश्यक हो ।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./-
सरित जफा
प्रधान निदेशक - वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड ॥, मुंबई

स्थान : मुंबई
तारीख : 30 अक्तूबर, 2009

भारतीय होटल निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार **भारतीय होटल निगम लिमिटेड** के संलग्न तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके साथ लाभ और हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है । ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी हैं । अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार प्रकट करना हमारी ज़िम्मेदारी है ।

2. हमने अपनी लेखा-परीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-परीक्षण मानकों के अनुसार की है । उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा इस प्रकार योजनाबद्ध और कार्यबद्ध करें कि इस आशय का उचित आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत विवरण नहीं है । लेखा-परीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और खुलासों का समर्थन करने वाले प्रमाणों का परीक्षण करना शामिल है । लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण करने के साथ-साथ प्रस्तुत समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है । हमें विश्वास है कि हमने जो अपनी राय व्यक्त की है, हमारी लेखा-परीक्षा में उसका एक उचित आधार विद्यमान है ।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप धारा (4क) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003, यथा संशोधित कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट संशोधन) आदेश, 2004 द्वारा यथापेक्षित और कंपनी की बहियों और रिकार्डों की ऐसी जांचों तथा हमारी राय में यथोचित और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में उल्लिखित मामलों पर **अनुलग्नक** में विवरण संलग्न कर रहे हैं ।

4. उपर्युक्त पैरा 3 में संदर्भित अनुलग्नक में अपनी टिप्पणियों के अलावा, हम सूचित करते हैं कि :

कंपनी ने लीज़ किरायों, टर्न ओवर लेवी और उस पर ब्याज के लिए 2162.68 लाख रुपयों की (पिछले वर्ष 2106.26 लाख रुपए) देयता प्रदान नहीं की है (देखें नोट सं. 2ख - अनुसूची 17) । इसके लिए लाभ और हानि लेखे के नामे शेष 2162.68 लाख रुपए कम करके बताया गया है तथा वर्तमान देयताओं को 2162.68 लाख रुपए कम करके बताया गया है ।

5. हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि :

i) हमने वे सारी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

ii) हमारी राय में, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कंपनी ने विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित लेखा-बहियां रखी हैं;

iii) तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं;

iv) हमारी राय में, इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3ग) में संदर्भित अनिवार्य लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं;

v) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में दी गई परिभाषा के अनुसार कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी को विधि, न्याय व कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी तारीख 22.3.2002 के परिपत्र संख्या 2/5/2001/ सीवी.वी. सामान्य परिपत्र सं. 8/2002 के माध्यम से उक्त अधिनियम की धारा 274(1)(छ) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है;

vi) उपर्युक्त पैरा 4 में हमारी टिप्पणी के अधीन, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार अपेक्षित तरीके से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार सभी आवश्यक सूचनाएं देते हैं और निम्नलिखित के संबंध में सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं :-

क. तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2009 को कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति का; और

ख. लाभ और हानि लेखे के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की हानि का; और

ग. नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह का ।

कृते पी. पारिख एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
जितेश जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 114920

स्थान : मुंबई
तारीख : 23 सितम्बर, 2009

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

हमारी सम दिनांक रिपोर्ट के पैरा (3) में संदर्भित

(i) अचल परिसंपत्तियों के संबंध में :

(क) अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे और स्थानों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए कंपनी ने उपयुक्त रिकॉर्ड रखे हैं ।

(ख) हमें बताया गया है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा क्रमबद्ध तरीके से अधिकांश अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है, जो कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए, हमारी राय में उचित है । ऐसे सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं ।

(ग) वर्ष के दौरान, कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग को नहीं बेचा है ।

(ii) भंडार, प्रचालन आपूर्तियों और खाद्य एवं पेय की सूची के संबंध में :

(क) जैसाकि हमें बताया गया है, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान, समुचित अंतरालों पर माल-सूची का वास्तविक सत्यापन किया गया था ।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, प्रबंधन द्वारा अनुसरित माल-सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रियाएं कंपनी के आकार और उसके कारोबार की प्रकृति के संबंध में समुचित और पर्याप्त थीं ।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अपनी माल-सूची के समुचित रिकॉर्ड रखे हैं । जैसाकि हमें बताया गया है, वास्तविक स्टॉक और बुक-रिकॉर्ड के बीच प्रत्यक्ष सत्यापन में पाई गई विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं थीं और उन्हें खाता-बहियों में ठीक तरह दर्शाया गया है ।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों तथा अन्य पक्षकारों को / से कोई रक्षित या अरक्षित ऋण देने अथवा लेने के संबंध में :

(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनी को अरक्षित ऋण दिया है । वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि 31.40 करोड़ रुपए थी और वर्ष के अंत में ऐसी कंपनी को दिए गए ऋण का शेष 4.75 करोड़ रुपए था ।

(ख) ऐसे ऋण की ब्याज की दर और अन्य निबंधन और शर्तें, हमारी राय में, प्रथम दृष्ट्या कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं ।

(ग) ऐसी कंपनी को दिए गए ऋण के बारे में वापसी के विषय में कोई अनुबंध नहीं है । तथापि, कंपनी को नियमित रूप से ब्याज मिलता है ।

(घ) ऐसी कंपनी को दिए गए ऋण की वापसी के विषय में कोई अनुबंध न होने के कारण, किसी राशि के अतिदेय होने का प्रश्न नहीं उठता । अतः हमारी राय में कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4 के खंड iii (घ) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते ।

(ङ) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन कंपनियों, फर्मों या पक्षकारों से कोई रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं लिया है । अतः हमारी राय में कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4 के खंड iii (ङ), (च), (छ) एवं (ज) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते ।

(IV) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार माल-सूची, अचल परिसंपत्तियों की खरीद और माल तथा सेवाओं की बिक्री के लिए कंपनी के आकार और उसके कारोबार की प्रकृति के अनुरूप, कंपनी में उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है । अपनी लेखा-परीक्षा के दौरान, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में प्रमुख कमियों को सुधारने के संबंध में न तो हमें कोई जानकारी मिली है और न ही हमें किसी सतत विफलता के बारे में सूचित किया गया है ।

(V) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अनुसरण में रखे रजिस्टर में दर्ज़ संविदाओं या व्यवस्थाओं के बारे में :

(क) सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत संविदाओं या व्यवस्थाओं के अनुसरण में किए गए संव्यवहार को रजिस्टर में दर्ज़ करना ज़रूरी नहीं है ।

(ख) हमारी राय में, संविदाओं या व्यवस्थाओं के अनुसरण में वर्ष के दौरान कुल 500,000/-रुपए (रुपए पांच लाख मात्र) या उससे अधिक के संव्यवहार को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रजिस्टर में दर्ज़ करना ज़रूरी नहीं है, चूंकि नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) सरकारी कंपनी है । तथापि, संगत समय पर वर्तमान बाज़ार कीमत को ध्यान में रखते हुए, दरें उचित हैं ।

(VI) हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और परिणामतः जनता से जमा स्वीकार किए जाने के विषय में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क और 58कक के उपबंध तथा कंपनी (जमा स्वीकृति) नियम, 1975 कंपनी पर लागू नहीं होते ।

(VII) हमारी राय में, कंपनी में आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली के लिए कंपनी में निर्धारित नीति एवं प्रक्रियाएं विद्यमान हैं । तथापि, भोजनगृह सुविधा केन्द्र, शैफेयर फ्लाइट केटरिंग (मुंबई), शैफेयर फ्लाइट केटरिंग (दिल्ली), सेन्टॉर होटल, दिल्ली, कैंटीन (दिल्ली) की आंतरिक लेखा-परीक्षा केवल अप्रैल, 2008 से सितम्बर, 2008 की अवधि के लिए की गई है।

(VIII) केन्द्रीय सरकार ने कंपनी की किन्हीं भी गतिविधियों के बारे में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है ।

(IX) सांविधिक देय राशियों के बारे में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार :

(क) कंपनी, वर्ष के दौरान भविष्य-निधि, निवेशक शिक्षा व संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क, उपकर की अविवादित देय राशियों और उसे लागू अन्य सामग्री सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने में सामान्यतः नियमित है । हमें दी गई जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, संपत्ति कर, सेवा कर, बिक्री कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क और उपकर के संबंध में 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, जिस तारीख से वे देय हो जाती हैं, उस तारीख से छः मास से अधिक अवधि के लिए अविवादित राशियां बकाया नहीं हैं ।

(ख) 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, निम्नलिखित मदों की देय राशियों को संबंधित प्राधिकारियों के पास विवादों के कारण जमा नहीं कराया गया है :

संविधि का नाम	देय राशियों का प्रकार	विवादित राशि (लाख रुपए में)	राशि से संबंधित अवधि	फोरम, जहां विवाद लंबित है
संपत्ति कर	कर	568.47	1985-86 से 2000-01	जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट
सुख-साधन कर	कर	1.35	1996-97	बिक्री कर आयुक्त (अपील) मुंबई
	ब्याज	0.21	1997-98	
	दंड	0.04	1999-00	
		1.60		
सुख-साधन कर	कर	73.83	2000-01	बिक्री कर अपर आयुक्त
	ब्याज	106.25		
	दंड	0.12		
		180.20		
सुख-साधन कर	कर	99.02	2001-02	बिक्री कर संयुक्त आयुक्त (अपील)
	ब्याज	119.50		
	दंड	9.58		
		228.10		
व्यय कर	ब्याज	3.74	1996-97	संयुक्त आयुक्त-परिशोधन
		3.74		
बिक्री कर	कर	7.00	1992-93	संयुक्त आयुक्त अपील पुनर्मूल्यांकन
	दंड	5.27		
	घटाएं: प्रदत्त	4.00		
	निवल राशि	8.27		
बिक्री कर	कर	14.34	1993-94	बिक्री कर आयुक्त (अपील)
	दंड	10.91		
	घटाएं: प्रदत्त	7.50		
	निवल राशि	17.75		
बिक्री कर	कर	1.30	1999-00	बिक्री कर संयुक्त आयुक्त (अपील)
	ब्याज	0.82		
		2.12		
	घटाएं: प्रदत्त	0.70		
	निवल राशि	1.42		

बिक्री कर	कर	18.93	2000-01	बिक्री कर संयुक्त आयुक्त (अपील)
	ब्याज	0.29		
	दंड	0.02		
		19.24		
	घटाएं: प्रदत्त	10.00		
	निवल राशि	9.24		
बिक्री कर	कर	264.57	2001-02	बिक्री कर आयुक्त (अपील)
	ब्याज	169.41		
	दंड	15.82		
	निवल राशि	449.80		
	घटाएं: प्रदत्त	25.00		
	निवल राशि	424.80		
आयकर		29.09	1981-82	आयकर अपील अधिकरण
आयकर		41.90	1996-97	आयकर आयुक्त अपील
बिक्री कर	कर	216.63	2002-03	बिक्री कर पुनर्निधारण उपायुक्त
	ब्याज	1.00		
	दंड	167.88		
		385.51		
सुख-साधन कर	कर	40.00	2002-03	बिक्री कर संयुक्त आयुक्त (अपील)
	ब्याज	1.00		
	दंड	41.70		
		82.70		
आयकर	कर	624.03	2003-04	आयकर आयुक्त (क) VIII
	कुल योग	**2606.82**		

(X) 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, कंपनी को कोई संचित हानि नहीं हुई है । तथापि, लेखा-परीक्षा के अधीन वित्तीय वर्ष में और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकदी हानियां हुई हैं ।

(XI) कंपनी ने किन्हीं वित्तीय संस्थाओं या बैंकों या डिबेंचर धारकों से ऋण नहीं लिया है । अतः कंपनी पर, कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(xi) के उपबंध लागू नहीं होते ।

(XII) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखते हुए प्रतिभूतियों के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं ।

(XIII) हमारी राय में, कंपनी, चिट फंड या निधि, म्युचुअल बेनिफिट फंड / सोसाइटी नहीं है । अतः कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(xiii) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते ।

(XIV) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों का लेन-देन या सौदा नहीं करती है । तदनुसार, कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(xiv) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते ।

(XV) वर्ष के दौरान, कंपनी ने दूसरों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है ।

(XVI) कंपनी ने कोई मियादी ऋण नहीं लिया है । अतः कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(xvi) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते ।

(XVII) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण एवं कंपनी के तुलन-पत्र की संपूर्ण जांच के अनुसार कंपनी ने अल्पावधि आधार पर ली गई निधि को *प्रथम दृष्ट्या* वर्ष के दौरान दीर्घावधि निवेश के लिए नहीं प्रयुक्त किया है ।

(XVIII) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों एवं कंपनियों को शेयरों का अधिमान्य (प्रिफरेंशियल) आबंटन करके कोई धन नहीं जुटाया है । अतः कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(xviii) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते ।

(XIX) कंपनी ने लेखा-परीक्षा वर्ष के दौरान, कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं । अतः कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(xix) का उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होता ।

(XX) कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम के रूप में कोई धन एकत्र नहीं किया है । अतः कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(xx) का उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होता ।

(XXI) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी पर या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का न तो कोई मामला पाया गया है और न ही प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना हमें दी गई है ।

कृते पी. पारिख एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
जितेश जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 114920

स्थान : मुंबई
तारीख : 23 सितम्बर, 2009

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(लाख रुपए में)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2009		31 मार्च, 2008	
I. निधियों के स्रोत :					
1. शेयर धारकों की निधियां :					
क) शेयर पूंजी	1		4,060.00		4,060.00
ख) आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	2		1,156.07		3,017.47
कुल			5,216.07		7,077.47
II. निधियों का अनुप्रयोग :					
1. अचल परिसंपत्तियां					
सकल ब्लॉक	3	8,181.52		7,232.53	
घटाएं : मूल्यह्रास		4,347.62		4,127.14	
निवल ब्लॉक		3,833.90		3,105.39	
पूर्ण नहीं हुए पूंजी कार्य		109.10		150.29	
			3,943.00		3,255.68
2. निवेश	4		0.47		0.47
3. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम :					
क) माल-सूची	5	266.86		256.04	
ख) विविध देनदार	6	1,089.88		1,257.20	
ग) नकद एवं बैंक शेष	7	1,219.25		1,367.40	
घ) ऋण एवं अग्रिम	8	4,613.27		6,836.36	
		7,189.26		9,717.00	
घटाएं : वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान					
क) वर्तमान देयताएं	9	3,666.60		3,834.84	
ख) प्रावधान	10	2,250.06		2,060.84	
		5,916.66		5,895.68	
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां			1,272.60		3,821.32
कुल			5,216.07		7,077.47
लेखाकरण नीतियां	16				
लेखों पर टिप्पणियां	17				

ऊपर संदर्भित अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न भाग निर्मित करती हैं।
हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी. पारिख एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कृते एवं निदेशक-मंडल की ओर से

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
जितेश जैन	कमोडोर ही. जेना	प्रशांत सुकुल	श्यामला पी. कुंदर
भागीदार	*प्रबंध निदेशक*	*निदेशक*	*कंपनी सचिव*

सदस्यता संख्या-114920

स्थान : मुंबई
तारीख : 23 सितम्बर, 2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा

(लाख रुपए में)

विवरण	अनुसूची	2008 - 09		2007 - 08	
आय :	11				
बिक्री (भत्तों / छूट का निवल)		4,609.59		5,577.01	
अन्य आय		295.64		551.06	
			4,905.23		6,128.07
व्यय :					
प्रचालनगत व्यय	12	1,560.23		1,725.74	
कर्मचारी लागत	13	4,225.85		4,821.02	
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	14	708.50	6,494.58	997.40	7,544.16
प्रचालनगत लाभ/(हानि)			(1,589.35)		(1,416.09)
मूल्यह्रास (नोट सं. 5 देखें)			220.49		162.37
कर पूर्व एवं असाधारण/पूर्वावधि मदों से पहले वर्ष का लाभ/(हानि)			(1,809.84)		(1,578.46)
वी.आर.एस. / असाधारण मदें			27.67		906.26
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	15		11.58		(1.24)
कर पूर्व वर्ष का निवल लाभ/(हानि)			(1,849.09)		(2,483.48)
फ्रिंज बेनिफिट कर			12.31		13.18
वर्ष के लिए निवल हानि			(1,861.40)		(2,496.66)
पिछले वर्ष से अग्रानीत लाभ और हानि			1,278.67		3,775.33
तुलन-पत्र में अग्रेनीत शेष			(582.73)		1,278.67
प्रत्येक 100 रुपए के शेयर पर प्रति शेयर अर्जन (मूल और तनूकृत)		रु.	(45.85)	रु.	(61.49)

ऊपर संदर्भित अनुसूचियां लाभ और हानि लेखे का अभिन्न भाग निर्मित करती हैं ।
हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी. पारिख एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
जितेश जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या-114920

कृते एवं निदेशक-मंडल की ओर से

हस्ता./-
कमोडोर डी. जेना
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

हस्ता./-
श्यामला पी. कुंदर
कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई
तारीख : 23 सितम्बर, 2009

अनुलग्नक-II

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

	विवरण	2008-09		2007-08	
क	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	कर पश्चात् निवल लाभ और असाधारण मदें		(1,861.40)		(2,496.66)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
	मूल्यह्रास	220.49		162.37	
	वित्त लागत	0.00		0.00	
	ब्याज आय	(75.60)		(77.22)	
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.00		0.00	
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)	(0.20)		(12.16)	
			144.69		72.99
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ		(1,716.71)		(2,423.67)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
	विविध देनदारों में (वृद्धि) / कमी	167.32		193.84	
	ऋणों एवं अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	2,223.09		1,855.58	
	स्टॉक में (वृद्धि) / कमी	(10.82)		(13.78)	
	वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	20.98		824.19	
			2,400.57		2,859.83
	निवल नकदी प्रवाह (प्रयुक्त) / प्रचालन गतिविधियों से	**(क)**	683.86		436.16
ख	**निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी**				
	अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(907.81)		(608.26)	
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से आय	0.20		11.67	
	प्राप्त ब्याज	75.60	(832.01)	77.22	(519.37)
	निवल नकदी प्रवाह (प्रयुक्त) / निवेश संबंधी गतिविधियों से	**(ख)**	(832.01)		(519.37)
ग	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी**				
	प्रदत्त ब्याज	0.00		0.00	
			0.00		0.00
	निवल नकदी प्रवाह (प्रयुक्त)/वित्तपोषण गतिविधियों से	**(ग)**	0.00		0.00
	वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह	**(क+ख+ग)**	(148.15)		(83.21)
	नकदी और नकदी समानक (आरंभिक शेष)		1,367.40		1,450.61
	नकदी और नकदी समानक (अंतिम शेष)		1,219.25		1,367.40

टिप्पणी : इस वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पिछले वर्ष के आंकड़ों को यथावश्यक पुनर्समूहित किया गया है ।

कृते पी. पारिख एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
जितेश जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या-114920

कृते एवं निदेशक-मंडल की ओर से

हस्ता./-
कमोडोर डी. जेना
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

हस्ता./-
श्यामला पी. कुंदर
कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई
तारीख : 23 सितम्बर, 2009

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग निर्मित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची - 1 : शेयर पूंजी :

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2009	31 मार्च, 2008
प्राधिकृत		
प्रत्येक रु.100/- के 41,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 41,00,000)	4,100.00	4,100.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त		
प्रत्येक 100/-रुपए के 40,60,000 इक्विटी शेयर पूर्णतः प्रदत्त (पिछले वर्ष 40,60,000) (कंपनी की संपूर्ण शेयर पूंजी नैसिल तथा उसके नामितियों द्वारा धारित है।)	4,060.00	4,060.00

अनुसूची - 2 : आरक्षित निधियां और अधिशेष :

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2009	31 मार्च, 2008
1. सामान्य आरक्षित निधियां	1,738.80	1,738.80
2. लाभ और हानि लेखों में शेष	(582.73)	1,278.67
	1,156.07	3,017.47

अनुसूची - 3 : अचल परिसंपत्तियां :

(लाख रुपए में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1.4.2008 को मूल्य	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	31.3.2009 को मूल्य	1.4.2008 तक	वर्ष के दौरान प्रावधान	वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	31.3.2009 तक	31.3.2009 को	31.3.2008 को
भूमि (पट्टे पर)	27.09	-	-	27.09	7.86	0.28	-	8.14	18.95	19.23
भवन (पट्टे की भूमि पर)	3,093.01	233.80	-	3,326.81	867.61	43.18	-	910.79	2,416.02	2,225.40
संयंत्र और मशीनरी	2,364.45	384.24	13.32	2,762.01	1,995.74	89.01	-	2,084.75	677.26	368.71
फर्नीचर, फिक्सचर, कार्यालय उपकरण, बिजली संस्थापन आदि	1,489.52	317.65	(0.02)	1,807.15	1,172.97	62.82	(0.02)	1,235.77	571.38	316.55
वाहन	250.72	-	-	250.72	76.18	24.77	-	100.95	149.77	174.55
कलात्मक वस्तुएं	7.74	-	-	7.74	6.79	0.43	-	7.22	0.52	0.95
	7,232.53	935.69	13.30	8,181.52	4,127.15	220.49	(0.02)	4,347.62	3,833.90	3,105.39
पिछले वर्ष	6,866.48	459.16	(93.11)	7,232.53	4,058.37	162.37	(93.60)	4,127.14	3,105.39	
पूर्ण नहीं हुए पूंजी कार्य									109.10	150.29

नोट : कृपया नोट सं. 5 देखें।
भवन (पट्टे की भूमि पर) में को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के 10 शेयर (पिछले वर्ष - 10 शेयर) का मूल्य रुपए 500/- (पिछले वर्ष - 500/- रुपए) शामिल है।

अनुसूची - 4 : निवेश :

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2009	31 मार्च, 2008
दीर्घावधि निवेश		
अन्य निवेश (गैर व्यापार)		
सरकारी प्रतिभूतियां		
7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र		
(सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण के पास जमा किए गए)	0.47	0.47
	0.47	0.47

अनुसूची - 5 : माल-सूची :

(लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2009		31 मार्च, 2008	
माल-सूची (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)					
i) खाद्य एवं पेय		21.75		26.41	
ii) भंडार		73.94		47.12	
iii) प्रचालनगत आपूर्तियां		171.17		182.51	
			266.86		256.04

अनुसूची - 6 : विविध देनदार :

(लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2009		31 मार्च, 2008	
विविध देनदार (अरक्षित) (नोट सं. 9 देखें)					
छह महीनों से अधिक बकाया :					
शोध्य माने गए	408.72			1,121.68	
अशोध्य माने गए	233.50			233.04	
		642.22		1,354.72	
अन्य :					
शोध्य माने गए	681.16			135.52	
अशोध्य माने गए	-			-	
		681.16		135.52	
		1,323.38		1,490.24	
घटाएं : अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान		233.50		233.04	
			1,089.88		1,257.20

अनुसूची - 7 : नकदी और बैंक शेष :

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2009		31 मार्च, 2008	
नकदी और बैंक शेष :				
1) हाथ में नकदी (हाथ / ट्रांज़िट में 2.35 लाख रुपए के चैकों सहित-पिछले वर्ष 16.41 लाख रुपए)		4.37		21.12
2) अनुसूचित बैंकों में शेष :				
i) चालू खातों में	233.58		276.38	
ii) सावधि जमा खातों में	981.30		1,069.90	
		1,214.88		1,346.28
			1,219.25	1,367.40

अनुसूची - 8 : ऋण तथा अग्रिम :

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2009		31 मार्च, 2008	
ऋण तथा अग्रिम (अरक्षित, शोध्य माने गए, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो) : (नोट सं. 9, 6 देखें)				
क) ऋण				
i) कर्मचारियों द्वारा वापस की गई राशि		24.18		11.93
ख) नकदी में या वस्तु या मूल्य के रूप में वसूली योग्य प्राप्य अग्रिम :				
i) शोध्य माने गए	1,793.52		1,676.25	
ii) अशोध्य माने गए	2.97		2.97	
	1,796.49		1,679.22	
घटाएं : अशोध्य अग्रिमों के लिए प्रावधान	2.97		2.97	
		1,793.52		1,676.25
ग) नैसिल को ऋण		475.00		3,140.00
घ) सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड से प्राप्य (नोट सं. 10 देखें)		297.81		297.81
ङ) ट्यूलिप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस लिमिटेड से प्राप्य (नोट सं. 10 देखें)		42.72		42.72
च) प्राप्य आर्थिक सहायता		74.14		113.24
छ) सार्वजनिक निकायों तथा अन्य के पास जमा		56.83		96.78
ज) अग्रिम कर, स्रोत पर कटौती और एफबीटी		1,849.07		1,457.63
		4,613.27		6,836.36

अनुसूची - 9 : वर्तमान देयताएं :

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2009		31 मार्च, 2008	
वर्तमान देयताएं				
विविध लेनदार (नोट सं. 9 देखें)	389.93		317.59	
ग्राहकों से अग्रिम	13.74		38.92	
नैसिल को देय	38.20		16.32	
प्रतिभूति और अन्य जमा	279.84		208.29	
अन्य देयताएं (नोट सं. 4, 6 देखें)	2,653.84		2,962.53	
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए देय	291.05		291.19	
		3,666.60		3,834.84

अनुसूची - 10 : प्रावधान :

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2009		31 मार्च, 2008	
प्रावधान				
उपदान	1,669.75		1,551.06	
छुट्टी का नकदीकरण	527.42		469.20	
कराधान (एफबीटी)	52.89		40.58	
		2,250.06		2,060.84

लाभ एवं हानि लेखे का भाग निर्मित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची - 11 : बिक्री और अन्य आय :

(लाख रुपए में)

विवरण	2008 - 09		2007 - 08	
1. होटलों और फ्लाइट किचनों से राजस्व (भत्तों / छूटों का निवल)				
क) कमरे - अतिथि आवास	2,061.97		2,428.27	
ख) भोजन, सिगार और सिगरेट	2,094.67		2,727.17	
ग) पेय (वाइन और लिकर)	20.24		21.88	
घ) टैलेक्स और टेलीफोन	15.42		9.62	
ङ) अन्य सेवाए	346.59		287.24	
च) दुकानों और कार्यालयों के लिए लाइसेंस शुल्क	70.70	4,609.59	102.83	5,577.01
2. अन्य आय				
क) बेची गई / स्क्रैप की गई परिसंपत्तियों पर लाभ	0.20		12.16	
ख) ब्याज (सकल) (स्रोत पर काटा गया कर - 40.87 लाख रुपए - पिछले वर्ष 87.39 लाख रुपए)				
नैसिल के ऋण पर	198.19		355.39	
कर्मचारी ऋणों पर	0.49		0.64	
सावधि जमा पर	75.60		77.22	
	274.28		433.25	
ग) विविध आय	21.16		105.65	
		295.64		551.06
		4,905.23		6,128.07

अनुसूची - 12 : प्रचालन व्यय :

(लाख रुपए में)

विवरण	2008 - 09		2007 - 08	
1. उपभुक्त हुई खाद्य सामग्री (सिगार और सिगरेट सहित)				
प्रारंभिक स्टॉक	22.34		21.40	
जोड़ें : खरीद	665.05		796.49	
	687.39		817.89	
घटाएं : अंतिम स्टॉक	17.23		22.35	
		670.16		795.54
2. पेय (वाइन और लिकर)				
प्रारंभिक स्टॉक	4.06		2.17	
जोड़ें : खरीद	4.29		7.53	
	8.35		9.70	
घटाएं : अंतिम स्टॉक	3.18		4.06	
		5.17		5.64
3. भंडार तथा आपूर्तियों की खपत (वसूलियों का निवल 35.36 लाख रुपए (पिछले वर्ष 40.68 लाख रुपए))		39.98		43.70
4. ऊर्जा, ईंधन, बिजली और जल प्रभार		816.61		845.67
5. सॉफ्ट फर्निशिंग		28.31		35.19
कुल प्रचालन व्यय		1,560.23		1,725.74

अनुसूची - 13 : कर्मचारी लागत :

(लाख रुपए में)

विवरण	2008 - 09	2007 - 08
वेतन, मजदूरी और बोनस	3,285.97	3,536.34
भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा आदि में अंशदान	309.24	345.76
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	111.92	197.24
उपदान के लिए प्रावधान	201.31	433.81
कल्याण तथा अन्य (वसूलियों का निवल 0.09 लाख रुपए (पिछले वर्ष 0.32 लाख रुपए))	317.41	307.87
कुल कर्मचारी लागत	4,225.85	4,821.02

अनुसूची - 14 : प्रशासनिक और सामान्य व्यय :

(लाख रुपए में)

विवरण	2008 - 09		2007 - 08	
1. किराया एवं लाइसेंस शुल्क (नोट सं. 2क देखें)		203.11		415.50
2. दरें और कर		44.47		44.40
3. मरम्मत और अनुरक्षण				
भवन	40.68		57.51	
संयंत्र तथा मशीनरी	53.12		70.59	
अन्य	65.21	159.01	70.36	198.46
4. यात्रा एवं सवारी				
यात्रा	8.87		14.72	
यात्रा एवं वाहन व्यय	59.59	68.46	65.25	79.97
5. अतिथि परिवहन व्यय		16.64		15.31
6. मुद्रण और लेखन सामग्री		21.59		28.36
7. संचार लागत		22.31		21.92
8. बीमा		17.55		22.08
9. कमीशन		6.04		13.78
10. विज्ञापन एवं प्रचार		11.69		33.21
11. प्रतिभूति प्रभार		64.85		47.65
12. विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार		35.88		39.37
13. लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक				
क) लेखा-परीक्षा शुल्क (सेवा कर सहित)	1.57		1.57	
ख) यात्रा व्यय	0.58	2.15	0.83	2.40
14. विविध व्यय		34.29		34.99
15. बट्टे खाते में डाला गया अशोध्य ऋण		0.46		-
		708.50		997.40

अनुसूची - 15 : पूर्वावधि व्यय / आय :

(लाख रुपए में)

विवरण	2008 - 09		2007 - 08	
I. व्यय				
1. संचार लागत		-		1.34
2. कर्मचारी लागत		2.01		-
3. मरम्मत एवं अनुरक्षण		2.13		-
4. विविध व्यय		7.44		-
		11.58		1.34
II. आय				
1. दुकानों का किराया		-		2.58
		-		2.58
III. पूर्वावधि मदें (निवल)		11.58		(1.24)